

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ दिनांक: 21 जुलाई, 2022

विषय: उत्तर प्रदेश के अध्यासित परिवारों हेतु 'परिवार कल्याण योजना' संचालित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश सरकार की मूल अवधारणा 'सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास' को मूर्त रूप देने के लिए प्रदेश के अध्यासित समस्त परिवारों को रोजगार का पर्याप्त अवसर प्रदान करने, लोक कल्याणकारी योजनाओं की पारदर्शिता एवं जनसामान्य हेतु संचालित योजनाओं का आच्छादन बढ़ाने के उद्देश्य से 'परिवार कल्याण योजना' संचालित किए जाने की संकल्पना की गयी है।

प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है कि सभी परिवारों को रोजगार के अवसर एवं आय उर्पाजन के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो सकें। इसके साथ ही राज्य में संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं के बेहतर प्रबन्धन, समयबद्ध लक्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन एवं योजना का शत-प्रतिशत लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुँचाने और जनसामान्य हेतु सरकारी सुविधाओं के सरलीकरण करने के उद्देश्य से 'परिवार कल्याण योजना' प्रारम्भ किये जाने तथा इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में अध्यासित परिवार की 'परिवार आईडी' बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। परिवार आईडी के माध्यम से प्राप्त एकीकृत डेटाबेस के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों का चिन्हांकन कर उन्हें रोजगार के समुचित अवसर प्राथमिकता पर उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अध्यासित लगभग 3.6 करोड़ परिवार एवं 15.00 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित हैं। इन परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही परिवार आईडी होगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित न होने वाले ऐसे परिवार जो राशनकार्ड के पात्र नहीं हैं, उन्हें 'परिवार ऑनलाइन पोर्टल' के माध्यम से परिवार आईडी उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की जायेगी। यह व्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क होगी। भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु परिवार आईडी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं वे भी स्वेच्छा से परिवार आईडी प्राप्त कर सकते हैं।

इस योजना के संचालित होने के फलस्वरूप परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा जाति/निवास प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने के उपरान्त परिवार के अन्य सदस्य द्वारा आवेदन करने की स्थिति में सुगमता से बिना किसी विलम्ब के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसी प्रकार परिवार में किसी बच्चे के जन्म लेने पर उसे जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही जाति प्रमाण पत्र देने की राज्य सरकार की संकल्पना को सरलता से क्रियान्वित किया जा सकेगा।

परिवार कल्याण योजना के सफल क्रियान्वयन एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न विभागों के डेटाबेस को जोड़ने की कार्यवाही की जायेगी। विभिन्न सरकारी योजनाओं में आवेदन करते समय वांछित अभिलेखों को स्कैन कर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे विभागीय पोर्टल से Application Programming Interface (API) के माध्यम से स्वतः प्राप्त (Fetch out) किया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

इस अनुक्रम में 'परिवार कल्याण योजना' के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी:-

1. प्रदेश के निवासित ऐसे परिवार, जो राशन कार्ड से आच्छादित हैं उनके राशन कार्ड को ही परिवार आईडी माना जायेगा तथा ऐसे परिवार जिनके पास राशनकार्ड नहीं है उनकी परिवार आईडी बनाने हेतु पोर्टल का विकास किया जायेगा।
2. परिवार आईडी से सम्बन्धित समस्त कार्यों के सम्पादन हेतु नियोजन विभाग नोडल विभाग होगा। लाभार्थीपरक योजनाओं से जुड़े समस्त विभाग इस कार्य हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे, जो नियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए योजना के सफल संचालन हेतु सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करेगा।
3. केंद्र सरकार द्वारा आधार अधिनियम की धारा 7 के अधीन अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत तत्काल Sub AUA onboarding की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए, लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण करवाना सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य सरकार की योजनाएं जो आधार अधिनियम 2016 की धारा 7 से आच्छादित हैं, उनकी अधिसूचना जारी कराते हुए, Sub AUA onboarding की कार्यवाही पूर्ण कराते हुए लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जायेगा। अन्य योजनाएं जो सेक्शन-7 से आच्छादित नहीं है, किंतु राज्य सरकार के हित में, जिनका आधार से आच्छादन किया जाना उचित है, उनमें आधार प्रमाणीकरण प्रारंभ करने हेतु, आधार अधिनियम की धारा 4(4)(b)(ii) के अंतर्गत केंद्र सरकार (MeitY) से अनुमति प्राप्त करके अधिसूचित कराते हुए, आधार प्रमाणीकरण प्रारंभ किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. सरकार द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं को शत प्रतिशत 'आधार' से आच्छादित किया जायेगा। लाभार्थियों के आधार उपलब्ध न होने की दशा में उनके आधार प्राप्त करने अथवा अभियान चलाकर आधार बनवाया जाना सम्बन्धित विभाग द्वारा यथासम्भव दिनांक 15 अगस्त, 2022 तक सुनिश्चित किया जायेगा परन्तु किसी भी दशा में मात्र आधार नहीं उपलब्ध होने के कारण लाभार्थी को योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जायेगा।
5. आय-प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीकरण को आधार अधिनियम 2016 (आधार और अन्य विधियां (संशोधन), 2019) के सेक्शन 4(4)(b)(ii) के अन्तर्गत नियमानुसार अधिसूचित किया जायेगा। इन प्रमाण पत्रों में आवेदन के साथ ही राशन कार्ड संख्या/परिवार आईडी प्राप्त करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
6. पूर्व में जिन योजनाओं को आधार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित किया जा चुका है अथवा भविष्य में किया जाना प्रस्तावित है, उन सभी योजनाओं के आवेदन में राशन कार्ड संख्या /परिवार आईडी अंकित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
7. तात्कालिक रूप से परिवार कल्याण योजना के क्रियान्वयन पर आने वाले व्यय को सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत स्थापित "सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस" द्वारा वहन किया जायेगा तथा भविष्य में नियोजन विभाग द्वारा योजना के लिए बजट का प्राविधान कराया जायेगा।
8. परिवार कल्याण योजना के क्रियान्वयन हेतु एनआईसी, सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस, स्टेट ई-गवर्नेंस मिशन टीम (एसईएमटी) एवं श्रीट्रान इण्डिया लि० अधिकृत होंगे तथा इनके द्वारा आपसी समन्वय करते हुए नियोजन विभाग के नियंत्रण/निर्देशन में कार्यों का सम्पादन किया जायेगा।
9. इस सम्बन्ध में नियोजन विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य निर्देश समय-समय पर सम्बन्धित विभागों/एजेंसियों को जारी किये जायेंगे। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आधार सम्बन्धित कोई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

विवरण बिना समुचित मास्किंग के पब्लिक डोमेन में नहीं डाला जाय एवं न ही किसी गैर सरकारी विभाग/संस्था से साझा किया जायेगा।

योजना के कार्यान्वयन का दायित्व नियोजन विभाग का होगा। राज्य में संचालित सभी लाभार्थीपरक योजनाओं से परिवार आईडी को आच्छादित करने सम्बन्धी उक्त निर्देशों का अनुपालन प्राथमिकता पर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

संख्या:6/2022/724/35-1-2022(1)/35-1010(099)/5/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष एवं मण्डलीय अधिकारी।
2. समस्त मण्डलायुक्त।
3. समस्त जिलाधिकारी।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(आलोक कुमार)
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।